न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13 / 2017 (डूंगरपुर डिक्री)

हुका पिता जीवण पटेल, निवासी वणियाप, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. केवलजी पिता जीवण पटेल, निवासी वणियाप, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 12.07.2017, प्र.सं. 9 / 2014

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सी.पी. गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 29–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट / वादी द्वारा अपीलान्ट / प्रतिवादी व सरकार के विरूद्ध धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वणियाप में वाद पत्र की कलम संख्या 2 की कुल आराजियात 39 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई होने से उक्त आराजियात का विधिवत विभाजन किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14–12–2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा तहसीलदार गलियाकोट ने अपने पत्र कमांक 159 दिनांक 01–02–2016 से विभाजन प्रस्ताव तलब किये। दिनांक 12–07–2017 को न्याय आपके द्वारा कैम्प सिलोही पर तहसीलदार गलियाकोट से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट / प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में सम्मन की तामिल नहीं होने से अपीलान्ट उपस्थित नहीं हो सके एवं अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होकर वाद डिक्री कर दिया गया, जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इजराय प्रस्तुत करने पर गिरदावर गजेन्द्र चौबीसा के माध्यम से दिनांक 25–09–2017 को हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ व्यक्त कारणों, अखण्डित शपथ–पत्र एवं न्यायहित मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर वकील श्री सी. पी. गांधी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक रूप से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की तामिल नहीं हुई है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट सगे भाई हैं। रेस्पोन्डेन्ट वादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से की भूमि विक्रय करना चाहता था, जिस पर अपीलान्ट का पुत्र एवं गांव के समाज के मौतबिर की उपस्थित में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट भाई होने से उसको भूमि विक्रय किये जाने की बात हुई तथा जमीन खरीदने का प्रथम अधिकार अपीलान्ट का माना गया। गांव के मौतबीर के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट से अपीलान्ट से 6,00,000/– रूपये लेकर दिनांक 20–01–2016 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिस पर मौतबीर व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर हैं।

→ हमारे द्वारा पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण में यह अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध

ही प्रस्तुत हुई अतएवं प्रारम्भिक डिक्री पर किसी प्रकार का विवेचन करना हम उचित नहीं समझते हैं। अपीलान्ट का यह कथन कि भाई होने के कारण भूमि क्रय करने का प्रथम अधिकार उसका है, मान्य नहीं है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा उठाये गये विधिक बिन्दुओं का जहां तक प्रश्न है, प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये हैं तथा अपीलान्ट को सूचित किया जाना भी प्रकट नहीं होता है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल की बृहत पीठ के आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 में पारित निर्णय के अतिक्रमण में है। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के बावजूद उपस्थित हस्ताक्षर नहीं किये जाने का नोट पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया है, परन्तु अपीलान्ट को सूचित किया गया हो अथवा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री राजस्व मण्डल के निर्देशों एवं आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक व डिक्री दिनांक 12–07–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में प्रकरण में तहसीलदार स्वयं सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर पक्षकारों की यदि कोई आपत्तियां हों तो उनका पहले निस्तारण करें, तत्पश्चात् साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29–10–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भोगीलाल पिता खेमजी सुथार, नि0 चितरी, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **मोतीलाल मृतक के बजाय चुन्नीदेवी पत्नी मोतीलाल सुथार, नि0 चितरी तह. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**246 / 2011**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....10**.....माह.....**06**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**.....माह.....**08**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री शैलेष भण्डारी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री दिनेश चौबीसा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2011 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**08**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।